

**34.4 ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन कराने के संबंध में आवेदन**  
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	<p><b>आवेदन कब करें ?</b></p> <p>ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन कराना हो।</p>
चरण-2	<p><b>आवेदन कौन कर सकता है ?</b></p> <p>ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन कराने वाले व्यक्ति।</p>
चरण-3	<p><b>अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</b></p> <p>1. खरीदी का बिल (वैकल्पिक)</p>
चरण-4	<p><b>आवेदन के साथ शुल्क ?</b></p> <p>आवेदन के साथ मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची – आठ में निर्धारित शुल्क।</p>
चरण-5	<p><b>शुल्क कैसे जमा करें ?</b></p> <p>आनलाईन आवेदन करते समय उपलब्ध लिंक से।</p>
चरण-6	<p><b>आवेदन कैसे करें ?</b></p> <p>ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक ----- <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से</p>
चरण-7	<p><b>अनुमोदन की समय-सीमा ?</b></p> <p>ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में –</p> <p>ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन - 7 कार्य दिवस के अंदर</p>
चरण-8	<p><b>सत्यापन प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करेगा ?</b></p> <p>STEP-1 : <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> Link पर Click करें STEP-2 : इसके पश्चात पंजीकृत आवेदन खोजें पर Click करें STEP-3 : <b>Show / File Movement</b> के नीचे View पर Click करें STEP-4 : <b>File</b> के नीचे View पर Click करें STEP-5 : <b>Correspondance</b> के आखिरी नंबर को Click करें</p>

चरण-9	<b>अपीलीय अधिकारी:-</b> संबंधित उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा।
चरण-10	<b>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</b> STEP-1 : <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> Link पर Click करें STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांचे पर Click करें

# कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक:- 34.4

आवेदक द्वारा नाप-तौल उपकरणों के मूल मुद्रांकन ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

